

आदेश का क्रम ख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

1

08
29.04.2023

न्यायालय उपायुक्त, राँची
आर० एम० अपील वाद सं० 23 आर० 15/2022-23

महेश्वर महतो पिता स्व० गोविन्द महतो
निवासी ग्राम चुतरुडीह, थाना सोनाहातु, जिला राँची..... अपीलकर्ता
बनाम

1. रजोवाला देवी पति-स्व० डोमन महतो,
2. रमनी देवी पति स्व० डोमन महतो
3. लाविन महतो पति संबत महतो
4. धरणी देवी पति लोबिन महतो

सभी निवासी ग्राम-कोलमा टोला चुतरुडीह, पो०- लोवाहातु,
थाना-सोनाहातु प्रखण्ड राहे, जिला - राँची, झारखण्ड उत्तरवादी
आदेश

प्रस्तुत अपील अपीलकर्ता ने भूमि सुधार उप-समाहर्ता, बुण्डू, राँची द्वारा
आर० एम० वाद सं० 74/2021-22 में आदेश दिनांक 06.12.2021 को
पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है, जिसके अन्तर्गत विद्वान
भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू, राँची द्वारा उत्तरवादी सं० 1 एवं 2 द्वारा
छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम धारा की 46 (i)(b) के तहत दायर
आवेदन को स्वीकार करते हुए मौजा कोलमा टोला, थाना-सोनाहातु
थाना सं० 85 के खाता सं० 44, प्लॉट सं० 759 रकबा 16.5 डी० भूमि
को उत्तरवादी सं० 4 के पक्ष में हस्तांतरण करने की अनुमति प्रदान
किया गया है।

अपीलकर्ता द्वारा भूमि सुधार उप-समाहर्ता, बुण्डू, राँची द्वारा
उक्त आर० एम० वाद सं० 74/2021-22 में पारित आदेश दिनांक
06.12.2021 के खिलाफ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में डब्लु०
पी० (सी०) सं० 785/2022 दायर किया था, जिसमें माननीय उच्च
न्यायालय ने आदेश दिनांक 06.12.2021 द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित
किया गया:- *Having heard learned counsel for the parties and
keeping in view the nature of the prayer made in the present writ
petition, without entering into the merit of the case, the petitioner is*



आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

given liberty to prefer fresh representation on the present issue before the respondent no.-2. On receipt of such representation, the respondent no.-2, after providing an opportunity of hearing to the petitioner and other concerned person shall take an appropriate informed decision in accordance with law expeditiously within a reasonable period.

अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार - मौजा कोलमा टोला, थाना-सोनाहातु थाना सं० 85 के खाता सं० 44, प्लॉट सं० 759 रकबा 16.5 डी० उनकी खतियानी भूमि है। उत्तरवादी सं० 1 एवं 2 द्वारा मौजा कोलमा टोला, थाना-सोनाहातु थाना सं० 85 के खाता सं० 44, प्लॉट सं० 759 रकबा 16.5 डी० भूमि को उत्तरवादी सं० 4 के पक्ष में हस्तांतरण करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम धारा की 46 की अनुमति प्राप्त करने के प्रार्थना के साथ आर० एम० वाद सं० 5/2021-22 दायर किया गया था, जिसके खिलाफ अपीलकर्ता ने भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू के न्यायालय में आपत्ति दायर किया था। उक्त आर० एम० वाद सं० 5/2021-22 के लंबित रहने के दौरान उत्तरवादी सं० 1 एवं 2 ने उसी भूमि अर्थात् मौजा कोलमा टोला, थाना-सोनाहातु थाना सं० 85 के खाता सं० 44, प्लॉट सं० 759 रकबा 16.5 डी० भूमि उत्तरवादी सं० 4 के पक्ष में हस्तांतरण करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम धारा की 46 (i)(b) के तहत की अनुमति प्राप्त करने के प्रार्थना के साथ प्रस्तुत आर० एम० वाद सं० 74/2021-22 दायर किया, जिसमें उन्होंने अपीलकर्ता को बिना कोई नोटिस या जानकारी प्रदान किये ही भूमि सुधार उप-समाहर्ता, बुण्डू, राँची से दिनांक 06.12.2021 छो० का० अधिनियम की धारा 46 (i)(b) के अन्तर्गत उक्त भूमि को उत्तरवादी सं० 4 के पक्ष में हस्तांतरित करने संबंधी अनुमति आदेश प्राप्त कर लिया।

मौजा कोलमा टोला, थाना-सोनाहातु थाना सं० 85 के खाता सं० 44, प्लॉट सं० 759 रकबा 16.5 डी० उनकी खतियानी भूमि है तथा अपीलकर्ता उक्त भूमि को क्रय करना चाहते हैं।

उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार - मौजा कोलमा टोला, थाना-सोनाहातु थाना सं० 85 के खाता सं० 44,

आदेश का क्रम या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

प्लॉट सं० 759 रकबा 16.5 डी० को अपीलकर्ता के पिता गोविन्द महतो ने निबंधित विक्रय विलेख दिनांक 16.01.1970 द्वारा उत्तरवादी सं० 1 /रजोबाला देवी एवं उत्तरवादी सं० 2/रमनी देवी के पति डोमन राम महतो को हस्तांतरण कर दिये थे। उक्त डोमन राम महतो उक्त भूमि पर दखलकार होकर अंचल कार्यालय में अपने नाम से नामान्तरण कराकर सरकार को लगातार लगान अदा करते रहे हैं। उपरोक्त डोमन राम महतो अपने पीछे दो पत्नी रजोबाला देवी एवं रमनी देवी छोड़ कर स्वर्गवास हो गये। उत्तरवादी सं० 1 /रजोबाला देवी एवं उत्तरवादी सं० 2/रमनी देवी अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु उक्त भूमि को उत्तरवादी सं० 4 धरणी देवी के पक्ष में हस्तांतरण करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आर० एम० वाद सं० 74/2021-22 दायर किया, जिसे विद्वान भूमि सुधार उप-समाहर्ता, बुण्डू, राँची से आदेश दिनांक 06.12.2021 द्वारा स्वीकृत किया गया।

अपीलकर्ता के पिता ने प्रश्नगत भूमि को वर्ष 1970 ई० में ही उत्तरवादी के पति को निबंधित विक्रय विलेख द्वारा हस्तांतरित कर दिया है एवं यदि अपीलकर्ता उपरोक्त भूमि क्रय करना चाहते हैं तो उन्हें सक्षम प्राधिकार के समक्ष धारा 16 बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम 1961 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए।

उभय-पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि अपीलकर्ता ने अपने दावा के समर्थन में कोई कागजात दाखिल नहीं किया है। दूसरी ओर उत्तरवादी का दावा है कि अपीलकर्ता के पिता ने प्रश्नगत भूमि वर्ष 1970 ई० में ही उत्तरवादी के पति को निबंधित विक्रय विलेख द्वारा हस्तांतरित कर दिया है तथा यदि अपीलकर्ता उपरोक्त भूमि क्रय करना चाहते हैं तो उन्हें सक्षम प्राधिकार के समक्ष धारा 16 बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम 1961 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए था।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से विदित होता है कि अपीलकर्ता के पिता ने वर्ष 1970 ई० में ही प्रश्नगत भूमि को निबंधित दस्तावेज से


आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे टिप्पणी, तारीख साथ।
1	2	3


हस्तांतरित कर दिया है। अपीलकर्ता ने उपरोक्त तथ्यों को छुपा कर प्रस्तुत अपील दायर किया है

अतः प्रस्तुत अपील वाद खारिज किया जाता है तथा भूमि सुधार उप-समाहर्ता, बुण्डू, राँची द्वारा आर० एम० वाद सं० 74/2021-22 में आदेश दिनांक 06.12.2021 को पारित आदेश बहाल रखा जाता है।

इस आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

लेखपित एवं संशोधित


उपायुक्त
राँची


उपायुक्त
राँची